न्यायालय– जिलाधिकारी, सहरसा।

जमाबंदी सुधार अपील वाद संख्या– 10/2014

दायरानी देवी वनाम राज्य एवं अन्य

–:: आदेश ::–

प्रस्तुत अपील अपीलार्थी दायरानी देवी व अन्य के द्वारा बिहार भूमि दाखिल खारीज अधिनियम 2011 की धारा 9(6) के अन्तर्गत अपर समाहर्त्ता सहरसा के जमाबंदी सुधार पुनरीक्षण वाद 92/2–3 में दिनांक 03.09.2014 को पारित आदेश के विरूद्ध दाखिल किया गया है।

अपीलार्थी का कहना है अपर समाहर्त्ता सहरसा के न्यायालय में दायर वाद 92/2–3 में अपीलार्थी प्रतिपक्षी है तथा प्रतिपक्षी विन्देश्वरी साह अपीलार्थी है। अपीलार्थी का आगे कथन है कि उक्त पुनरीक्षण भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सहरसा के पारित आदेश दिनांक 09.11.2002 के विरूद्ध प्रतिपक्षी ने दायर किया था। उक्त भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सहरसा का आदेश अंचलाधिकारी कहरा के आदेश को बहाल रखा गया था।

अपीलार्थी का आगे कहना है कि खातेयानी रैयत ढ़लाई साह के वारिसान सुकुमारी देवी हुई जो भी अपनी जरूरत वो आवश्यकता की पूर्ति के लिए खतियानी जमीन के अंश 4 क0 एराजी को वहक दायरानी देवी के फरोख्त की, दायरानी देवी अपनी खरीदगी एराजी 4 क० पर हकदार दखलकार खरीदगी तिथि से रहते आयी वो आज भी है। यह कि खतियानी रैयत के वारिसान सुकुमारी देवी अपने हिस्से की ऐराजी के अंश को दिनांक 24.07.1992 को ही वहक वुधन यादव को 3 क० फरोख्त की, वुधन यादव भी अपनी खरीदगी एराजी पर हकदार वो दखलकार हुए वो रहते आये वो आज भी है। खतियानी रैयत के वारिसान सुकुमारी देवी अपने अपने हिस्से की एराजीयात के अंश– 3 क० एराजी को दिनांक 24.07.1992 को वहक भूपेन्द्र चौधरी के विक्री की, खरीददार भूपेन्द्र चौधरी भी अपनी खरीदगी एराजी पर हकदार वो दखलकार हुए वो रहते आये और आज भी है। खतियान रैयत के खानदान का वंशावली निम्न तरह से अंकित किया है।

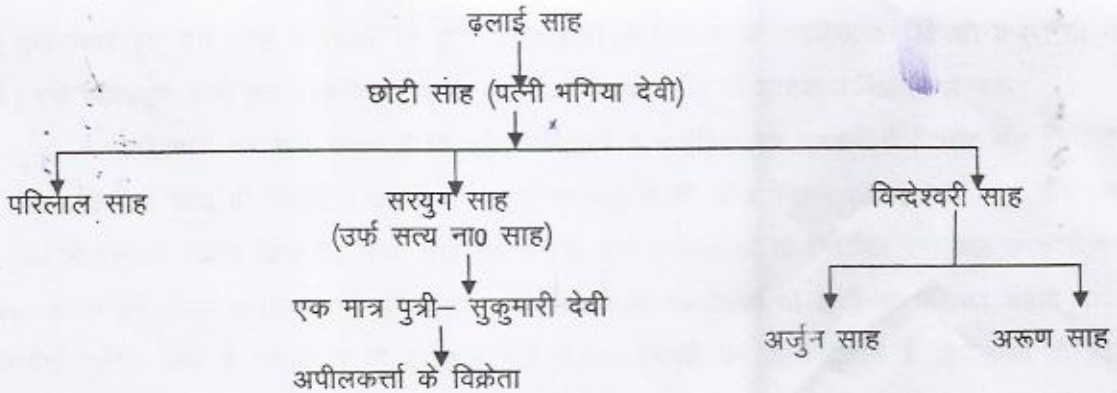

अपीलार्थी का आगे कथन है कि खतियानी रैयत के वारिसान सुकुमारी देवी को अपने पैतृक जमीन 1/3 भाग हिस्सा रहता आया वो है, जिसे सुकुमारी देवी ने अपनी आश्यकता की पूर्ति के लिए वहक अपीलकर्त्ता गण के हाथों दिनांक 24.07.1992 को तीन केवाला से बिक्री की जिस पर खरीददार हकदार दखलकार हुए वो रहते आये है।

यह कि दिनांक 24.07.1992 को भी चौथा केवालादार भुपेन्द्र सिंह थे जो 01 वी० जमीन सुकुमारी देवी से खरीद किये, उक्त खरीदगी के आधार पर खरीददार भूपेन्द्र सिंह ने पुनः 01.08.1992 को वहक दो केवाला से अर्जुन साह पिता विन्देश्वरी साह के हाथ 10 क० तथा दूसरे केवाला से वहक अरूण साह पिता विन्देश्वरी साह

11.3.17

के हाथ दस कठ्ठा जमीन विक्री कर दिये। इस तरह विन्देश्वरी साह के दोनों पुत्रों ने सुकुमारी देवी के राइट टाइटिल को मानकर उनके द्वारा विक्री जमीन को भूपेन्द्र सिंह से खरीद किये।

यह कि वाद खरीदगी के अपीलकर्त्तागण ने अंचलाधिकारी के यहाँ आवेदन जमाबंदी कायम करने के लिए दिये जिसका अंचलाधिकारी ने अपने स्तर से जॉच कराकर सही पाकर अपीलकर्त्ता गणों का जमाबंदी अलग–अलग कायम करने का आदेश दिये इस तरह से अपीलकर्त्तागणों का दायरानी देवी का 392 बुधान का जमाबंदी 393 भूपेन्द्र का 297 कायम हुआ। वो अपीलकर्त्ता लगान आदाय कर सरकारी रसीद रेन्ट विल हासिल करते आये।

अपीलार्थी का आगे कहना है कि विपक्षी विन्देश्वरी साह ने अंचलाधिकारी के आदेश के विरूद्ध भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के यहाँ पुनरीक्षण वाद दायर किये जिसमें भूमि सुधार उप समाहर्त्ता ने अपने स्तर से जॉच कर सभी कागजात साक्ष्य का सही मुल्यांकण करते हुए अपना आदेश दिनांक 09.11.2002 को पारित किये वो अंचलाधिकारी, कहरा के आदेश को बहाल रखें।

यह कि पुनः विन्देश्वरी साह के द्वारा अपर समाहर्त्ता, सहरसा के यहाँ आदेश भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सहरसा के विरूद्ध पुनरीक्षण वाद दायर किया गया, जिसमें दिनांक 03.09.2014 को आदेश हुआ। जिसके विरूद्ध यह अपील वाद दायर किया जाता है। अपर समाहर्त्ता, सहरसा द्वारा निम्न न्यायालय के दोनों आदेशों की गहराई में गये वगैर ही अपना उक्त आदेश भावना में आकर वो विन्देश्वरी साह के नाजायज राजनैतिक प्रभाव में आकर पारित किया गया है जिसमें कानून की दृष्टिकोण से काफी चुक की गई है वो दिनांक 03.09.2014 को आदेश पारित किया गया है, जिस कारण यह अपील दायर करने की आवश्यकता हुई। अपीलार्थी का आगे कथन है कि विपक्षी विन्देश्वरी साह के दो पुत्र जो वंशावली से भी स्पष्ट होता है कि अर्जुन साह तथा अरूण साह ने सुकुमारी देवी से भूपेन्द्र सिंह के द्वारा 1 वि0 खरीदगी एराजी को पुनः आधा–आधा बॉट कर यानि 10 क०– 10 क० करके विन्देश्वरी साह के दोनों पुत्र ने सुकुमारी देवी के हिस्से वाली जमीन को भूपेन्द्र सिंह से खरीद किये वो हकदार दखलकार हुए इस तरह से विपक्षी के द्वारा अपीलकर्त्ता के विक्रेता के टाईटिल को विपक्षी कबुल वो मंजूर करते है। इस महत्वपूर्ण बातों को अपर समाहर्त्ता के द्वारा नहीं समझा गया वो आदेश पारित किया गया।

अपीलार्थी का आगे कथन है कि अपर समाहर्त्ता ने टाईटिल को समझने में विधिक भूल किये है वो आदेश पारित किये है साथ ही विपक्षी ने अपने दोनों पुत्रों के नाम से भी डीड नंबर– 14073/92 तथा डीड नंबर– 14072/92 से एजाजी खरीद किये है। अपर समाहर्त्ता ने एक ओर अपीलकर्त्ता के निबंधित दस्तावेज सरकारी रसीद वो दखल कब्जा को नजर अंदाज करते हुए दूसरी ओर विपक्षी के महत्वहीन वो झुठी कहानी का महत्व देते हुए उक्त आदेश पारित किये है जो विधि के अनुकुल नहीं है। अपीलार्थी का आगे कथन है अपीलार्थी के विक्रेता सुकुमारी देवी के राईट टाईटिल को मानते हुए सुकुमारी देवी से भूपेन्द्र सिंह खरीददार की एराजी को खरीद किये जिन बातों को बहस के दौरान भी उठाया गया है, मगर अपर समाहर्त्ता द्वारा नजर अंदाज करते हुए आदेश पारित किया गया जो विधिक चुक है।

प्रस्तुत जमावंदी सुधार अपील वाद में प्रतिपक्षी का कहना है रीमीजन अपील वाद 92/02–03 समाहर्त्ता के न्यायालय में दाखिल किया गया था। मुटेशन लॉ 2011 के तहत मुटेशन वाद अंचल कार्यालय से प्रारंभ होता है। अपील भुमि सुधार उप समाहर्त्ता तथा रीमीजन समाहर्त्ता के न्यायालय से करने का प्रावधान है। इस मामले में समाहर्त्ता के न्यायालय में दायर पुनरीक्षण अपर समाहर्त्ता को सुनकर आदेश पारित करने हेतु स्थानान्तरित किया गया है। इसमें अपर समाहर्त्ता को भी वही शक्ति प्रदान है जो समाहर्त्ता को है। इसी प्रावधान के तहत प्रतिपक्षी ने रीमीजन के स्वीकार योग्य नहीं बतलाते हुए इसे खारिज करने की सूचना की गयी है।

11.3.17

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना। अभिलेख तथा संलग्न कागजातों का अवलोकन किया। चूँकि अभिलेख पूर्व में समाहर्त्ता न्यायालय से हस्तान्तरित हुआ था और विद्वान अपर समाहर्त्ता, सहरसा के द्वारा पारित आदेश में कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होता है।

अतः अपीलार्थीगण के अपील को खारीज किया जाता है।

लेखापित एवं शुद्धिकृत।
11.3.17
समाहर्त्ता,
सहरसा।

11.3.17
समाहर्त्ता,
सहरसा।

ज्ञापांक 447-2 / विधि, सहरसा, दिनांक–11-3-17.

प्रतिलिपि– निम्न न्यायालय अभिलेख मूल में संलग्न करते हुए अपर समाहर्त्ता, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– जिला सूचना–विज्ञान अधिकारी, सहरसा को सहरसा सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।

प्रभारी पदाधिकारी,
जिला विधि शाखा, सहरसा।
11.3.17